Government of India
Ministry of Education
Department of School Education and Literacy

विस्तार

36

सभी 36 राज्य और
केंद्र शासित प्रदेश

32

31 एससीईआरटी और
1 एसआईई

11.6

लाख सरकारी और
सरकारी सहायता
प्राप्त स्कूल

609

डाइट

15.6

करोड छात्र

7039

बीआरसी

57

लाख शिक्षक

86499

सीआरसी

एनईपी का केंद्र बिंदु

एनईपी 2020 छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। यह छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और जिज्ञासा पैदा करने के साथ छात्रों के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देती है। यह प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमता को पहचानती है। एनईपी 2020 निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित है :

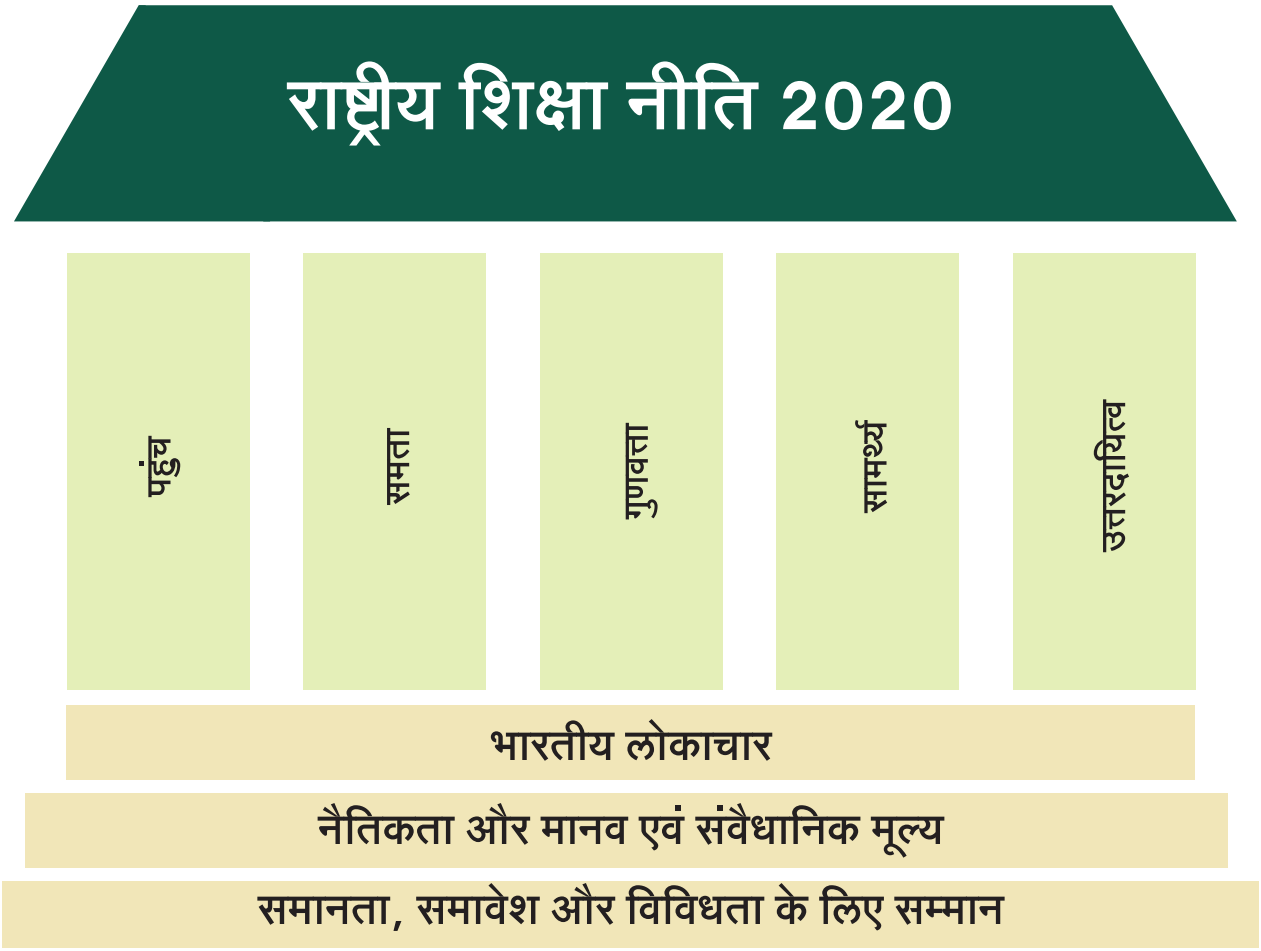

- समग्र शिक्षा प्री–प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी लेवल तक स्कूली शिक्षा के लिए भारत सरकार की एकीकृत योजना है।
- समग्र शिक्षा में एनईपी अनुशंसाओं के 86 पैरा शामिल किए गए हैं ।
- यह योजना शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी–4) के अनुरूप है।
- अनेक नई विशेषताओं के साथ समग्र शिक्षा को 2025–26 तक जारी रखा गया है ।

उद्देश्य

1. एनईपी 2020 की अनुशंसाओं को लागू करना।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देना।
3. बच्चों के पोषण, देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना।
4. मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर ज़ोर ।
5. समग्र, संघटित, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठयक्रम पर ज़ोर ।
6. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों को सीखने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
7. स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को समाप्त करना।
8. स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना।
9. एससीईआरटी/एसआईई और डाइट को प्रोत्साहित करना और गुणवत्ता बढ़ाना।
10. स्कूलों में सुरक्षित और शिक्षण अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना।
11. व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा की नई शैक्षणिक और पाठयक्रम संरचना को प्रोत्साहित करता है। (5+3+3+4):

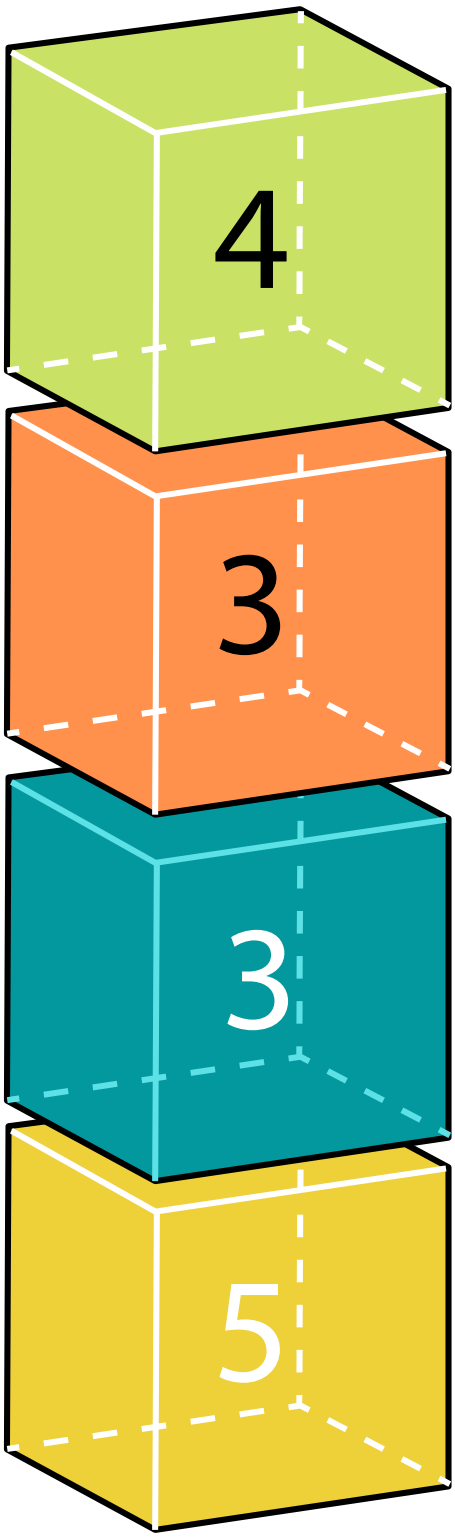

वर्ग : 9 – 12
उम्र : 14 – 18

माध्यमिक स्तर (4)
छात्रों के लिए बहु–विषयक अध्ययन, सकारात्मक सोच, लचीलापन और विषयों का चुनाव।

वर्ग : 6 – 8
उम्र : 11 – 14

मध्य चरण (3)
विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुभवात्मक शिक्षा।

वर्ग : 3 – 5
उम्र : 8 – 11

प्रीपरेटरी स्टेज (3)
प्ले, डिस्कवरी और गतिविधि–आधारित इंटरएक्टिव क्लासरूम।

वर्ग : 1 – 2
उम्र : 6 – 8
+ वर्ग :
आंगनबाडी/बालवाटिका
उम्र : 3 – 6

फ़ाउंडेशनल स्टेज (5)
बहुस्तरीय, प्ले /गतिविधि आधारित शिक्षा ।

शासन सुधार

01

प्रशासनिक संरचना

सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन के लिए एकल और एकीकृत प्रशासनिक संरचना।

02

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लचीलापन।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना मानदंडों और उपलब्ध समग्र संसाधनों के साथ प्रावधानों को बनाने और प्राथमिकता देने के लिए लचीलापन।

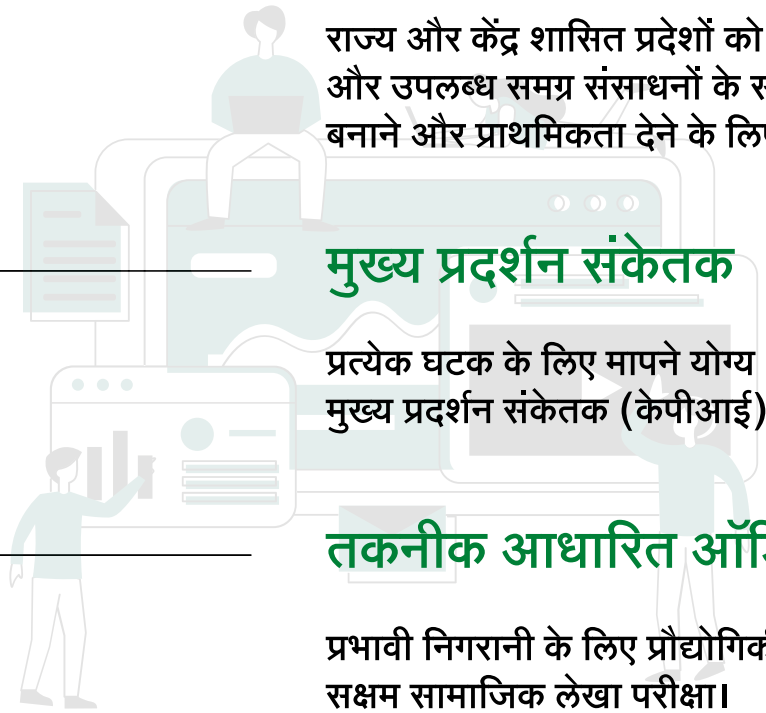

03

मुख्य प्रदर्शन संकेतक

प्रत्येक घटक के लिए मापने योग्य मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई)।

04

तकनीक आधारित ऑडिट

प्रभावी निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम सामाजिक लेखा परीक्षा।

05

प्रबन्ध प्रणाली

प्रबन्ध प्रणाली के माध्यम से स्कूल स्तर तक विकेंद्रीकृत योजना, कार्यान्वयन और निगरानी ।

मूलभूत शिक्षा पर ध्यान देना –

प्री–प्राइमरी –

1. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्री–प्राइमरी वर्गों और आंगनवाडियों के सह–स्थान के लिए सहायता।
2. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और ईसीसीई शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।
3. सरकारी स्कूलों में प्री–प्राइमरी सेक्शन में शिक्षण अधिगम सामग्री, देसी खिलौने और खेल, खेल आधारित गतिविधियों के लिए प्रति बच्चा 500 रुपये तक का प्रावधान।
4. प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक ढांचा (एनसीपीएफईसीईसी) विकसित किया जाएगा, जिसमें शारीरिक और मोटर विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक–भावनात्मक–नैतिक विकास, सांस्कृतिक/कलात्मक विकास, संचार, प्रारंभिक भाषा को प्रोत्साहन, साक्षरता और संख्या–ज्ञान का विकास शामिल है।

निपुण भारत (राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान दक्षता पहल)

1. राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा III के अंत तक पढने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता हासिल करे।
2. टीएलएम और विद्या प्रवेश मॉड्यूल (स्कूल तैयारी मॉड्यूल) के लिए प्रति बच्चा 500 रुपये तक प्रावधान, टीएलएम मैन्युअल और संसाधनों के लिए 150 रुपये प्रति शिक्षक, मूल्यांकन के लिए 10–20 लाख रुपये प्रति ज़िले का प्रावधान।
3. मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर प्री–प्राइमरी और प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए निष्ठा विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल।
4. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पीएमयू का प्रावधान।

पहुंच और अवधारण में सुधार –

1. प्री–स्कूल से कक्षा 12 तक नए/अपग्रेडेड स्कूल ।

2. सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार (अतिरिक्त कक्षाएं, एकीकृत प्रयोगशालाएं,शौचालय, विद्युतीकरण, पेयजल, बाधा–मुक्त पहुँच, वर्षा जल संचयन आदि)।

3. मौजूदा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्ट्रीम के बजाय नए विषयों को जोड़ना।

4. स्कूल नामांकन के आधार पर 25,000 से 1 लाख रुपये का समग्र स्कूल अनुदान।

5. स्वच्छता गतिविधियों के लिए विशिष्ट प्रावधान – 'स्वच्छ विद्यालय' के लिए सहायता।

6. स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान और उन्हें प्राथमिक स्तर पर मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण।

7. 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूल से बाहर सामाजिक–आर्थिक वंचित समूह (एसईडीजी) के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता। 2000 रूपये प्रति बच्चा प्रति ग्रेड एनआईओएस /एसओएस के माध्यम से अपने माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी लेवल को पूरा करने के लिए।

8. दूरदराज के क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय' का प्रावधान।

9. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के लिए प्रावधान ।

बाल केंद्रित प्रावधान

1. सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर (कक्षा I से VIII) तक सभी लड़कियों और बीपीएल,एससी और एसटी वर्ग के लडकों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म।

2. प्रारंभिक स्तर पर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, जिसमें कमजोर दृष्टि वाले बच्चों के लिए ब्रेल और बडे प्रिंट वाली किताबें शामिल हैं।

3. 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से माध्यमिक स्तर तक परिवहन सुविधा का विस्तार।

4. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पर अधिक ज़ोर ताकि विभिन्न लाभ कम से कम समय में सीधे छात्रों तक पहुंचे।

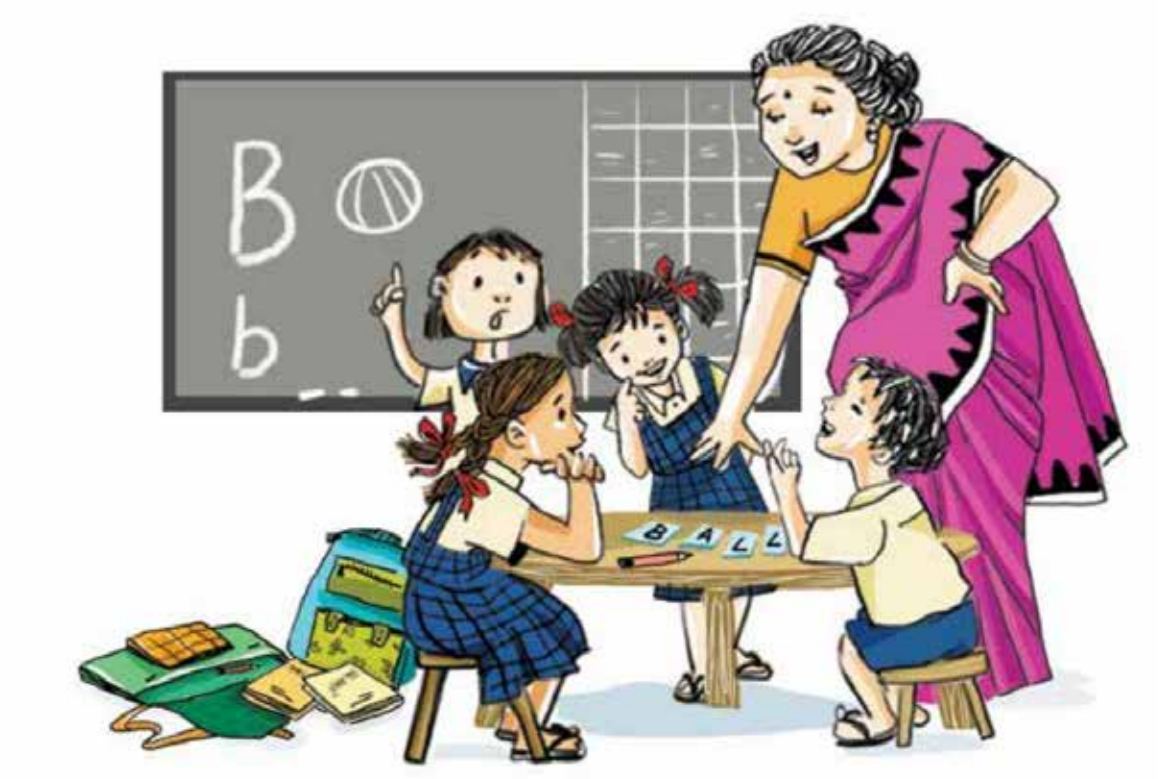

गुणवत्ता और नवाचार

1. सीखने के संवर्धन/समृद्धि कार्यक्रम के लिए सहायता।

2. प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक पढने की आदतों को बढावा देने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए वार्षिक पुस्तकालय अनुदान (पढे भारत बढे भारत कार्यक्रम) का प्रावधान।

3. प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्वदेशी खेलों और फिटनेस को बढावा देने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए खेल अनुदान का प्रावधान।

4. स्कूल के कम से कम 2 छात्रों के राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया खेलों में पदक जीतने पर 25000 रुपये तक का अतिरिक्त खेल अनुदान।

5. प्रत्येक शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में प्रगति/विशिष्टता को दर्शाता हुआ समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी)।

6. बैगलेस दिनों, स्कूल परिसरों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुधार आदि का प्रावधान।

7. राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा, और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) की गतिविधियों के लिए प्रावधान।

8. स्कूलों में विज्ञान और गणित को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए) के लिए प्रावधान । योग्यता–आधारित उपलब्धि सर्वेक्षण करने, परीक्षण सामग्री और आइटम बैंक विकसित करने, डेटा विश्लेषण आदि के लिए एससीईआरटी में अधिमानतः मूल्यांकन सेल की स्थापना।

शिक्षकों की क्षमता को बढाना और टीईआई का सुदृढीकरण –

1 शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता को बढाने के लिए नए सिरे से विचार करना।

2 निष्ठा के अंतर्गत प्री–प्राइमरी से बारहवीं कक्षा तक सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का प्रावधान।

3 31 मार्च 2020 तक बनाए गए जिलों में नए एससीईआरटी और नए डाइट की स्थापना का प्रावधान (पहले यह 31 मार्च 2017 तक था)।

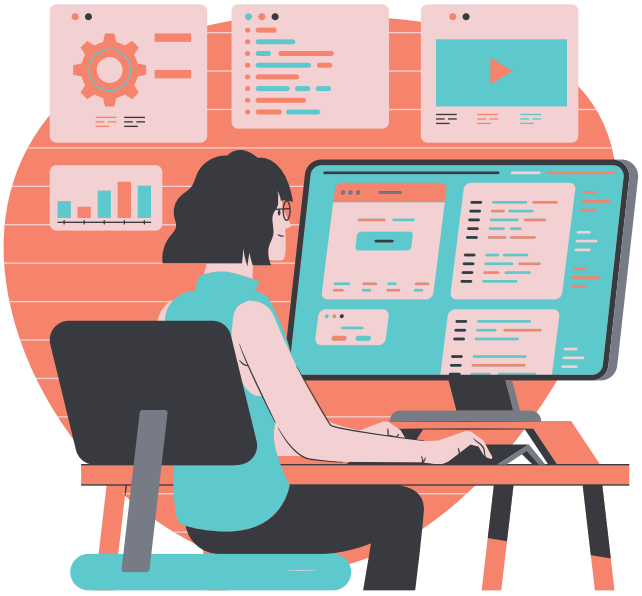

4 प्री–प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के लिए बीआरसी और सीआरसी द्वारा शैक्षणिक सहायता।

5 शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एससीईआरटी और डाइट जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण ।

6 प्रशिक्षण को गतिशील और आवश्यकता आधारित बनाने के लिए, एससीईआरटी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्थान।

आईटी पर फोकस और टेक्नोलॉजी के उपयोग पर ज़ोर

1 उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब, डिजिटल बोर्ड सहित स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनल की व्यवस्था।

3 बहुभाषी और विविध कक्षाओं की चुनौतियों के समाधान के लिए दीक्षा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री।

DIKSHA

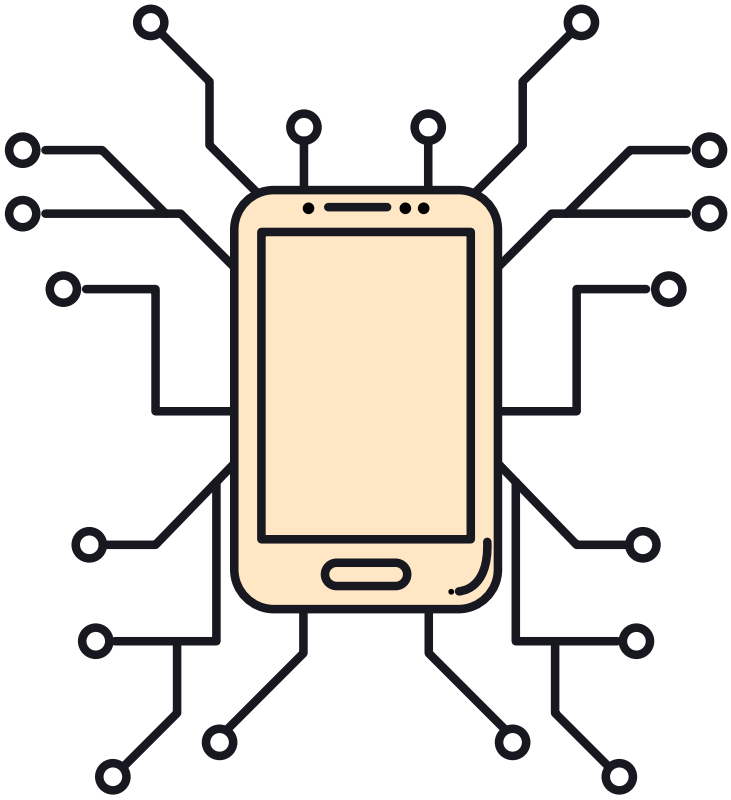

2 डिजिटल पहलों जैसे यूडाईस +, शगुन को सुदृढ करना।

4 एनडीईएआर (राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर) के लिए सहायता।

NDEAR | National Digital Education Architecture
digital infrastructure for the education ecosystem

भाषा शिक्षक की नियुक्ति

1 उत्तर पूर्वी राज्यों और गैर–हिंदी भाषी राज्यों में कक्षा I से XII के छात्रों के लिए हिंदी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान।

2 उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति।

3 द्विभाषी (बाई–लिंगुवल) पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री।

4 भाषा शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी)।

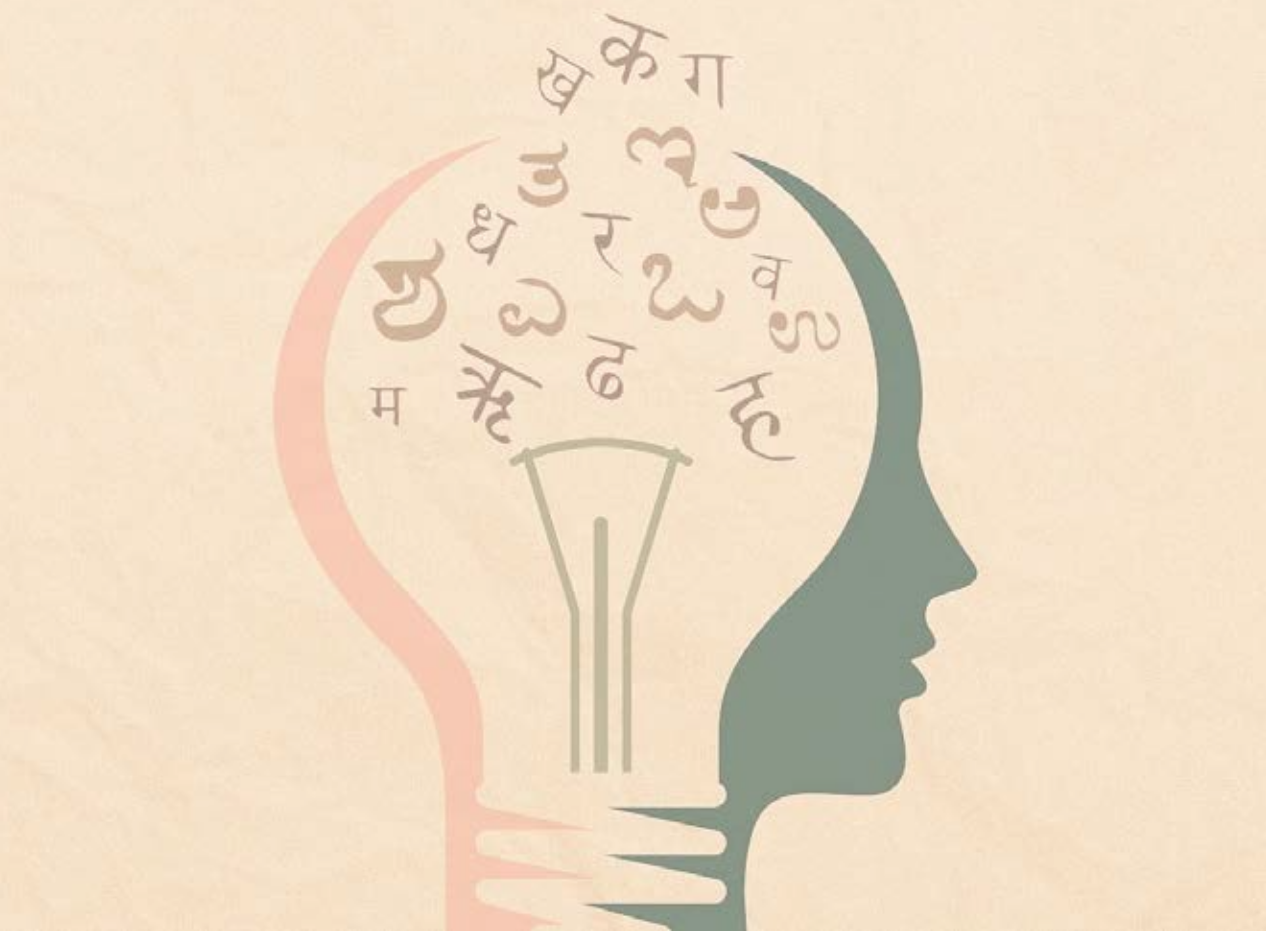

बालिका शिक्षा और समानता पर फोकस: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

1. सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को बारहवीं कक्षा तक उन्नयन का प्रावधान।

2. कक्षा IX से XII के लिए मौजूदा स्टैंड–अलोन गर्ल्स हॉस्टल (केजीबीवी टाइप IV) के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।

3. 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण' के तहत लडकियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और राशि को 3000 रुपये से बढाकर 5000 रुपये प्रति माह किया गया।

4. सभी बालिका छात्रावासों में भस्मक एवं सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की व्यवस्था।

5. सामाजिक–आर्थिक वंचित समूहों (एसईडीजी), शैक्षिक रूप से पिछडे ब्लॉकों (ईबीबी), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 113 आकांक्षी जिलों को वरीयता।

समावेशी शिक्षा

1 ब्लॉक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए वार्षिक पहचान शिविरों का प्रावधान।

3 सीडब्ल्यूएसएन लडकियों के लिए अलग से 200 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए वजीफे का प्रावधान ।

2 प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए 3500 रुपये प्रति वर्ष के छात्र केंद्रित घटक का प्रावधान।

4 सीडब्ल्यूएसएन के पुनर्वास एवं विशेष प्रशिक्षण और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों को तैयार करना।

व्यावसायिक शिक्षा

1 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उच्च प्राथमिक वर्ग के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अवगत कराने का प्रावधान।

2 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता तथा माध्यमिक स्तर पर नामांकन और मांग के अनुसार कोर्स/अनुभागों का प्रावधान।

3 पड़ोस के अन्य स्कूलों के लिए हब के रूप में कार्यरत स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कक्षा सह कार्यशाला का प्रावधान। स्पोक के रूप में कार्यरत स्कूलों के लिए परिवहन और मूल्यांकन लागत का प्रावधान।

4 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियां, जो कौशल के लिए धन मुहैया कराती हैं, के साथ अभिसरण।

5 स्कूलों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की मौजूदा संरचना का स्कूल जाने वाले और स्कूल से बाहर दोनों तरह के बच्चों के लिए बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।

समीक्षा और निगरानी

1. सीखने के स्तर और नामांकन की निगरानी के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग ।

2. प्रति वर्ष कम से कम 20% स्कूलों को कवर करती हुई सामाजिक लेखा परीक्षा जिसमें युवा, स्वयंसेवक, स्नातक छात्र आदि शामिल हैं।

3. प्रगति की समीक्षा करने के लिए व्यापक समीक्षा मिशन (सीआरएम)।

4. कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र निगरानी संस्थान।

5. सीखने के परिणामों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस)।

6. यूडाईस+ (स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली+) स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी मापदंडों पर विश्वसनीय और वास्तविक तथा समय पर डेटा संग्रह सुनिश्चित करना।

7. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 संकेतकों में उनके प्रदर्शन पर ग्रेड देने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) को ज़िला स्तर तक बढा दिया गया है।

अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

1. प्रारंभिक स्तर तक के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना के साथ ।
2. ईसीसीई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के साथ ।
3. जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा स्कूलों में पेयजल की सुविधा प्रदान करना।
4. बाल श्रम से वापस लाये गए बच्चों को नियमित स्कूल तथा मुख्यधारा में लाने के लिए श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के साथ ।
5. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं कौशल के लिए धन मुहैया कराने वाले अन्य मंत्रालयों के साथ ।
6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं।
7. सहायक उपकरण/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिवयांग व्यक्तियों को सहायता योजना (एडीआईपी योजना) और दिवयांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (एसआईपीडीए) की कार्यान्वयन योजना के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ।
8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएचपी) की एक संयुक्त पहल।
9. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खेल के मैदानों, स्कूलों में चारदीवारी और स्कूल वर्दी के प्रावधान के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ।
10. स्थानीय स्तर पर 15 वें वित्त आयोग की निधियों के विद्यालय परिसर के रख–रखाव और आवश्यकतानुसार उपयोग हेतु पंचायती राज विभाग के साथ।

नया क्या है ?

एनईपी 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं को संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल किया गया ।

प्री–प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक नए/ अपग्रेडेड स्कूल ।

सभी नए स्कूलों/छात्रावासों में वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर पैनल और बाधा मुक्त पहुंच का प्रावधान।

आवासीय छात्रावासों, केजीबीवी आदि का सीनियर सेकंडरी तक विस्तार (एनईपी पैरा संख्या 3.2 और 6.9)।

---

16 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों के लिए सहायता (एनईपी पैरा नंबर 3.1) ।

माध्यमिक स्तर तक परिवहन सुविधा का विस्तार (एनईपी पैरा संख्या 6.4) ।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी वर्गों के लिए सहायता (एनईपी पैरा नंबर 1.4 और 1.6) ।

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और ईसीसीई शिक्षकों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।

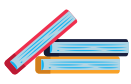

शिक्षण अधिगम सामग्री : सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी वर्गों के लिए प्रतिवर्ष, स्वदेशी खिलौने और खेल आधारित गतिविधियां।

नया क्या है ?

एनईपी 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं को संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल किया गया।

3 महीने का खेल–आधारित–स्कूल तैयारी मॉड्यूल – ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों के लिए (एनईपी पैरा 2.5)।

निपुण भारत मिशन के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर ज़ोर (एनईपी पैरा नंबर 2.1 से 2.8)।

बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा निष्ठा के तहत विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल।

समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) के लिए प्रावधान (एनईपी पैरा संख्या 4.35)।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) (एनईपी पैरा 2.6) पर मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर राष्ट्रीय स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों को उपलब्ध कराया जायेगा।

एससीईआरटी द्वारा स्थानीय भाषाओं और संदर्भ में एफएलएन के लिए गणित और रीडिंग लिटरेसी के लिए ई–कंटेंट तैयार किया जाएगा, जो दीक्षा पर अपलोड होगा।

सीखने के परिणामों के साथ–साथ बच्चों के अगली कक्षा में प्रवेश पर नज़र रखने के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग की व्यवस्था (एनईपी पैरा नंबर 3.3)।

विषय–केंद्रित और परियोजना–आधारित क्लबों और मंडलों सहित कक्षाओं से परे शैक्षिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना/ सीखना/अन्य गतिविधियों का आयोजन करना।

नया क्या है ?

एनईपी 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं को संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल किया गया।

विषय–केंद्रित और परियोजना–आधारित क्लब और मंडल, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। (जैसे कि विज्ञान मंडल, गणित मंडल, संगीत और नृत्य प्रदर्शन मंडल, शतरंज मंडल, कविता मंडल, भाषा मंडल, नाटक मंडल, बहस मंडल, खेल मंडल, इको–क्लब, स्वास्थ्य और कल्याण क्लब / योग क्लब आदि) ।

डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी (एनईपी पैरा 2.8)।

स्कूल बंद रहने के दौरान समाज में शिक्षा को बढावा देने के उद्देश्य से पुस्तकालयों का उपयोग किया जाएगा ।

संसाधनों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए स्कूल परिसर/क्लस्टरों /किसी अन्य नवोन्मेषी तंत्र के माध्यम से प्रभावी संसाधन और शासन तंत्र । (एनईपी पैरा 7.5 और 7.7)

व्यावसायिक अनुभव के लिए बैगलेस दिनों को बढावा देना और स्थानीय स्किल्ड कारीगर के साथ इंटर्नशिप का प्रावधान। (एनईपी पैरा संख्या 4.26)

प्री–प्राइमरी से बारहवीं कक्षा तक सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रावधान।

नया क्या है ?

एनईपी 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं को संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल किया गया।

शिक्षकों की क्षमता निर्माण (50 घंटे सीपीडी) (एनईपी पैरा संख्या 5.15) ।

स्थानीय संदर्भ और भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद (आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी-सहायता) सहित, सभी स्तरों पर छात्रों के लिए रोचक और प्रेरणादायक पुस्तकें विकसित की जाएंगी।

हिंदी और उर्दू भाषा के शिक्षकों का प्रावधान (एनईपी पैरा नंबर 22.8) ।

प्री-प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के लिए बीआरसी और सीआरसी द्वारा शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाएगी।

लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु उन्नत प्रावधान।

सीडब्ल्यूएसएन की पहचान के लिए प्रावधान और ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्र को तैयार करना। (एनईपी पैरा नंबर 3.2, 6.10, 6.11, 6.12)।

---

31 मार्च 2020 तक बने जिलों में नए एससीईआरटी एवं डाइट की स्थापना का प्रावधान।

नया क्या है ?

एनईपी 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं को संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल किया गया।

एससीईआरटी में मूल्यांकन प्रकोष्ठों के लिए सहायता (एनईपी पैरा संख्या 4.41)।

स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान और दीक्षा के लिए सहायता (एनईपी पैरा नंबर 23.6, 24.2 और 24.4 ई)।

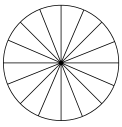

व्यावसायिक शिक्षा में हब और स्पोक मॉडल का प्रावधान (एनईपी पैरा संख्या 16.1 से 16.8 तक)

निधियों का प्रभावी उपयोग और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निगरानी संरचना (एनईपी पैरा संख्या 8.5, 27.2)।

प्रति वर्ष 20% स्कूलों को कवर करने वाली सामाजिक लेखा परीक्षा को बढावा देना ताकि सभी स्कूलों को पांच साल की अवधि में कवर किया जा सके।

Government of India
Ministry of Education
Department of School Education and Literacy